राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–2740735,,ई मेलःjacct.dta@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 09-05-2025

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)अलेसे–III/662

आदेश

नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को माह अप्रेल 2025 मे कोषालय से कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व अप्रेल माह के वेतन की समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त अवधि के वेतन का भुगतान ना ही कोषालय एवं ना ही वर्तमान पदस्थापित कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त अवधि के वेतन के संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अनुरोध किया जाता है कि संबंधित कनिष्ठ लेखाकार का अन्तिम भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर माह अप्रेल, 2025 के वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें। ''समस्त कोषाधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों का पदस्थापन एक्स कैडर कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर किया गया है उनका वेतन संबंधित कोषालय के द्वारा कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक तक किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त के अतिरिक्त जो कार्मिक माह अप्रेल, 2025 में आदेशों की प्रतीक्षा में रहें है उनके माह अप्रेल–2025 के वेतन भुगतान हेतु भी संबंधित कोषाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।''

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :– 09-05-2025

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)नियुक्ति/अलेसे–III/662

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित/निजी पत्रावली ।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक II/III)